**वकालतनामा**

**(Vakalatnama)**

न्यायालय............

वाद/अपील संख्या ............ सन् ...........

............. वादी/अपीलार्थी

**बनाम**

............प्रतिवादी/उत्तरदाता

जिस किसी को भी यह लागू हो वह यह सुनिश्चित करेगा कि मैं/हम ..... उपरोक्त नामांकित केस ............ में नियुक्त किये गये हैं जिसे वाद में अधिवक्ता कहा जायेगा अथवा मेरा/हमारा अधिवक्ता उक्त वाद में कहा जायेगा और उसे/उन्हें अधिकृत करेगा जिससे

इस न्यायालय अथवा अन्य न्यायालय में जो उपरोक्त बाद में सुनवाई कर रहा है और अन्य किसी अपीलेट न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी करे और उन सभी दावों, जवाब दावों, अपीलों, प्रति आपत्तियों अथवा याचिकाओं, पुनर्विचार, निगरानी, नंबर साबिक, वापसी समझौता आदि प्रपत्रों पर अथवा अन्य याचिकाओं के जवाब, आपत्तियाँ अथवा शपथपत्रों अथवा अन्य दस्तावेजों जो भी आवश्यक समझी जायें अथवा उक्त केस के अभियोजन हेतु इसकी हर स्टेज पर उचित हों, पर हस्ताक्षर करने, दायर करने अथवा प्रमाणित करने हेतु कार्य करें।

और बैंक दस्तावेजों को प्राप्त करे तथा दायर करें ।

और उपरोक्त केस को वापिस ले या समझौता करे अथवा पंचाट हेतु प्रेषित करे अथवा उक्त केस के सम्बन्ध में कोई विवाद या मत विभेद उत्पन्न हो जाये उसका पंच निर्णय करायें।

और इजराय की कार्यवाही अमल में लाने हेतु कार्यवाही करें।

और धन जमा करे और प्राप्त करे, चैक प्राप्त करे, रसीद निर्गत करे और वे सभी कार्य करे जो उपरोक्त केस के कार्यान्वयन में आवश्यक और उचित हों

और अन्य अधिवक्ता को नियुक्त करे और उसे उन्हीं कार्यों को करने के अधिकार दें जो उसे मिल हुए हैं जब कभी ऐसा करने की आवश्यक प्रतीत हो और मेरी या हमारी ओर से पावर आफ अटार्नी पर हस्ताक्षर करे। \_\_और मैं/हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता इस पर भी सहमत होते हैं कि अधिवक्ता अथवा उसके स्थान पर कार्य करने वाले अधिवक्ता द्वारा किये गये हर कार्य को अपना कार्य करना मानेंगे और जैसा कि उक्त केस के सम्बन्ध में मेरे/हमारे द्वारा ही किया गया हो। \_\_ और मैं/हम यह भी स्वीकार करते हैं कि मेरा/हमारा कोई भी अधिकृत अभिकर्ता जो न्यायालय महाजिर होगा तो केस में आवाज लगने पर अपने अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित होने की लिए बतायेगा। । और मैं/हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता इस पर भी सहमत हैं कि उस दशा में जब अधिवक्ता की फीस तथा या आंशिक रूप से मेरे/हमारे द्वारा भुगतान न की गई हो जो उन पर वाजिब हो तो अधिवक्तागण केस को मुल्तवी कराने के लिए अधिकृत हैं ।। आर में/हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता इसके लिए भी तहान हैं कि अधिवक्ता अथवा उसके स्थान पर कार्य करने वाले को उक्त केस के परिणाम के लिए जो उसकी अनुपस्थिति में सामने आये जबकि उक्त केस के सम्बन्ध में उक्त न्यायालय में आवाज लगे अथवा उक्त अधिवक्ता अथवा उसके स्थान पर कार्य करने वाले अधिवक्ता की लापरवाही नहीं मानेंगे।

साक्ष्य में मैं/हम हस्ताक्षर करते हैं और इस वकालत नामे के सभी तथ्यों को आज दिनांक .. दिन ............ सन् ............ को भली प्रकार समझ लिया है।

**स्वीकृत व्यवहारी**

**अधिवक्ता हस्ताक्षर ............**

**हस्ताक्षर......**